कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के न्याय अनुभाग–1 के पत्र संख्याः 02 नो0ई0 / XXXVI -A-1/2021-09 नो0ई0 / 2010 दिनांकित 23 फरवरी, 2021 के अनुसार जिला टिहरी गढवाल के **तहसील देवप्रयाग** में नोटरी के रिक्त एक पद के लिये सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 के अनुसार अर्हता रखते हों। आवेदन करने हेतु नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 4 के उपनियम (2) एवं (3) निम्नवत हैः–

(2) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप–I के अनुसार और उक्त नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप–II के अनुसार अभ्यावेदन किया जायेगा,

(3) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का अभ्यावेदन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा –

(क) मजिस्ट्रेट
(ख) राष्ट्रीयकृत बैक के प्रबन्धक,
(ग) व्यापारी, और
(घ) ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी, जिसमें आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।

जो आवेदन पूर्ण एवं उपर्युक्त नियमों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित नही होगें, उन पर विचार नही किया जायेगा।

यह भी अवगत किया जाता है कि आवेदन पत्र अपर सचिव, न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन (जिन्हें अधिसूचना संख्या–02 भा0स0 / XXXVI(1)/2009-3/नो0 / न्याय0वि0 / 2002 दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है) को सम्बोधित किये जायेगे एवं **आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 31.03.2021 तक प्रस्तुत किये जायेंगें।**

ह0 / –
(अमित कुमार सिरोही)
जिला न्यायाधीश,
टिहरी गढवाल।

पत्रांक स. / 2021 दिनांक 27.02.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित

1. कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढवाल नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
2. उपजिलाधिकारी देवप्रयाग को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिऐशन, नई टिहरी।
4. सिस्टम असिस्टेन्ट वास्ते वेबसाईप पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।
6. गार्ड फाईल

27/2/2021
मुख्य प्रशा0 अधिकारी
जिला जजशिप टिहरी गढवाल।